

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
166/2023

दायर दिनांक
15.05.2023

निर्णय दिनांक
26.02.2024

उनवान

1. शकुन्तला देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली, आयु-वयस्क, निवासी-डाक बंगले के पीछे, गांधीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला-भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीया

बनाम

1. मनोज कुमार तम्बोली पिता श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली, आयु-वयस्क, निवासी-डाक बंगले के पीछे गांधीनगर, भीलवाड़ा तह० एवं जिला भीलवाड़ा
2. प्रेमसिंह पिता रणजीत सिंह राजपूत, आयु-वयस्क, निवासी-बतको का खेड़ा तहसील व जिला-भीलवाड़ा (राज०)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

-विपक्षीगण


उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी हरदयाल वर्मा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जित्याखेड़ी प०ह० दान्थल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 227 की अभिलिखित आराजियात 823 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8472 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।


इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा जित्याखेड़ी प०ह० दान्थल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 227 की अभिलिखित आराजियात 823 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8472 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आन्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा